

FROM No. III

फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत..... सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु..... मुकाम.....

..... बनाम.....
किस्म मुकदमा..... नं. 92/2022 सन् 2022

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
8/3/22 27/04/22	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक को पेश हो।</p> <p>प्रार्थी वकील उपरोक्त/विप्रार्थी गणों के नोटिस लामिल कुछ प्राप्त जिसे काविल पत्रावली दिनांक/विप्रार्थीगण कावजुड लामिल अनुसूचित लामिल समय तीन बार कावाज लगाई गई, कौन्सिल कावाज 5:45 pm पर लगाई गई विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी कोर्ट से कोई रुधिरकत उपरोक्त नहीं हुआ। प्रतिवादी/विप्रार्थीगणों के विरुद्ध एडवोकेट द्वारा वादी केमल में लाई जाती है मेल; वास्ते बटल पत्रावली दिनांक-01/06/2022 को पेश हो।</p>	<p>सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु जिला - बाजोर</p>

सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु जिला - बाजोर

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

न.
अहम
हुक्म को
में जारी है

01/06/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बायजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढ़ा सेढ़ा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढ़े एवं कण बने हुए थे जो वर्तमान में आधियों की वजह से बिखर गए हैं जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फ़ैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु
जिला - नरमोर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/वाद/2022/889

दिनांक:- 01/06/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. कानाराम पुत्र गंगाराम,
जाति जाट, निवासी गोदारो की ढाणी,
पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला,
तहसील बायतु (बाडमेर)

1. धनाराम पुत्र हरिसिंह वगैरा 09,
जाति जाट, निवासी लापला,
पटवार मण्डल कोसरिया,
तहसील बायतु (बाडमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 92/2022

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा - गोदारो की ढाणी, पटवार हल्का - माडपुरा बरवाला, तहसील - बायतु, जिला- बाडमेर के खेत खसरा नं. क्रमशः 736, 911/737, 913/805 रकबा क्रमशः 0.0324, 7.3943, 10.2420 हेक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबन्धित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक/वाद/2022/890-894

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का माडपुरा बरवाला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री कानाराम पुत्र गंगाराम,
4. विप्रार्थी श्री धनाराम पुत्र हरिसिंह वगैरा 09,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिड़ा/नागाणा।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक:- 01/06/2022

उपखण्ड अधिकारी बायतु

जिला-बाडमेर